न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,जमवारामगढ़,जयपुर
बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीना R.A.S.

राजस्व वाद सं0 04/2017

पुनीत भार्गव पुत्र डॉ0 ऋषि भार्गव, जाति ब्राह्मण निवासी सी–32,पीयुषपथ, बापूनगर, जयपुर

.....वादी

बनाम

1. राधादेवी पत्नि मोहनलाल
2. रामसहाय पुत्र रामकुमार
3. मोहन पुत्र रामुकमार
4. मदनलाल पुत्र राधेश्याम
5. सेडूराम पुत्र राधेश्याम
6. दिनेश पुत्र राधेश्याम
7. प्रहलाद पुत्र बंशीधर
8. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
9. गजानन्द पुत्र रामेश्वर
10. रामचरण पुत्र रामेश्वर

जाति हरि0ब्रा0 निवासी राहौंरी, जमवारामगढ जिला जयपुर।

11. इन्द्रसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत नि0 71,शीतला माता की डूँगरी,ब्रहम्पुरी जयपुर।
12. अजय सोमानी पुत्र सुरेश सोमानी
13. पुष्पा सोमानी पत्नी सुरेश सोमानी
14. सुप्रिया सोमानी पुत्री सुरेश सोमानी

जातियान ब्रह्मण निवासी 53, देवीपथ, तक्तेशाही रोड, जयपुर।

15. राज.सरकार जरिये तहसीलदार, जमवारामगढ, जयपुर।
16. उप पंजीयक जमवारामगढ जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ऐक्ट.

निर्णय

दिनांक 13.08.2018

वादी की ओर से वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0एक्ट0 के तहत पेश किया गया कि ग्राम राहोंरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 235 रकबा 3.5200 हैक्टेयर में स्थित है, जिसमें हिस्सा 1/8 अनुसार भूमि खातेदार बद्री पुत्र श्योनन्दा से खरीदशुदा अनुसार एवं हिस्सा 32/112 दर हिस्सा 308/960 अनुसार रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि खातेदार इन्द्रसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह से खरीदशुदा अनुसार वादी के हित में राजस्व रिकार्ड में अंकितानुसार स्थित है। उपरोक्तानुसार वादग्रस्त भूमि में वादी का संयुक्त हिस्सा 19/88 अनुसार रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि है, जिसके अनुसार ही काबिज खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं0 12,13,14 का संयुक्त हिस्सा 75/112 दर हिस्सा 308/960 अनुसार स्थित है, जिसके अनुसार प्रतिवादी सं0 12,13,14 काबिज खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्सा मुताबिक खातेदारी अन्य प्रतिवादीगण की है। वादी वादग्रस्त भूमि में विधिक बंटवारा कराने व राजस्व रिकार्ड अलग से कायम कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। जिससे तकासमा डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि में मुताबिक रिकार्ड में दर्ज हिस्से रकबा अनुसार विधिक तकासमा कराया जाकर वादी की भूमि का राजस्व रिकार्ड अलग से कायम कराया जावे एवं वादी की भूमि का राजस्व लगान अलग से कायम कराया जावे।

वादी की ओर से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण को हाजिर अदालत होकर जवाब प्रस्तुती हेतु जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा तलबी के नोटिस जारी किये गये, जिस पर सुनवाई की पेशी दिनांक 19.05.2017, 18.08.2017, 13.09.2017, 09.11.2017, 11.12.2017, 15.11.2018, 29.11.2018, 15.02.2018 को प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, उसके

अधिकारी

उपरांत बहस पत्रावली हेतु आगामी पेशी दिनांक 06.03.2018, 16.03.2018 नियत की गई, तदुपरांत आगामी पेशी दिनांक 06.04.2018 को उपस्थित वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया, जिसमें वकील वादी ने वाद में अंकित उक्त कथनों को मध्य नजर रखते हुए पक्षकारों के हिस्से अनुसार भूमि वादग्रस्त का सरस नरस के तहत तकासमा करने हेतु कथन किया। वकील वादी ने कथन किया कि प्रकरण तकासमे का है जो कि अनावश्यक ही लम्बित है, जिसको मध्य नजर रखते हुए वकील वादी ने तकासमें हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 06.04.2018 को उक्त तथ्यों व कथनों अनुसार वकील वादी की बहस सुना जाकर ग्राम राहोंरी में वादग्रस्त खसरा नं0 235 रकबा 3.5200 हैक्टेयर भूमि में उभय पक्षो के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर पक्का निर्माण को ध्यान में रखते हुए, सरस–नरस के आधार पर वाद में तकासमें हेतु निर्णय किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया गया। जिसके अनुशरण में तहसीलदार जमवारामगढ को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने पर विवादित भूमि के सम्बन्ध में कुर्रेजात रिपोर्ट के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

जो कि उक्त प्रकरण में पारित निर्णय/प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्र क्रमांक/एलआर/18/5787 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई, जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। जिस पर दिनांक 13.08.2018 को वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना जाकर विभाजन हेतु शामिल कुर्रेजात रिपोर्ट मय प्रस्तावित नक्शा, दस्तावेज को मध्य नजर रखते हुए पत्रावली में हमने ब–गौर अवलोकन व मनन किया, जिसके उपरांत न्यायालय आदेशानुसार पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाता है तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद में आगे/निम्न प्रकार अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर बंटवारा कायम किया जाता हैं।

–:विभाजन की स्थिति:–

1. डॉ. पुनीत भार्गव पुत्र श्री ऋषि भार्गव, जाति ब्राह्मण निवासी सी–32, पीयुषपथ, बापू नगर, जयपुर के बंटवारें में खसरा नं0 235/1 रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी3 लगान 1.52 रूपये कायम किया जाता है।

2. अजय सोमानी पुत्र सुरेश चन्द्र सोमानी हि0 25/75, पुष्पा सोमानी पत्नि सुरेशचन्द्र सोमानी, सुप्रिया पुत्री सुरेश सोमानी हि0 50/75, जाति ब्रह्मण निवासी 53, देवीपथ, तक्तेशाही रोड, जयपुर के बंटवारें में खसरा नं0 235/2 रकबा 0.75 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी3 लगान 1.51 रूपये कायम किया जाता है।

3. राधा देवी पत्नि मोहनकुमार हि0 49/201 राहिन केनरा बैंक शाखा कानोता, कैलाशचंद, बनवारीलाल, छोटूराम, ओमप्रकाश पि0 रामसहाय हि0 30/201, विमलादेवी पुत्री मोहनकुमार, रामजीलाल, रमेश, रामराय, लक्ष्मण, रामप्रसाद, रूपनारायण पि0 मोहन कुमार हि0 26/201, मदनलाल पुत्र राधेश्याम हि0 15/201 राहिन केनरा बैंक शाखा कानोता, सेडूराम, दिनेश पि0 राधेश्याम हि0 30/201 बिला रहन, प्रहलाद पुत्र बंशीधर हि0 23/201 राहिन बी0ओ0ई0 शाखा कानोता, बाबूलाल, गजानन्द, रामचरण पि0 रामेश्वर हि0 28/201 जाति हरि0ब्रा0 साकिन देह के बंटवारें में खसरा नं0 235 रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी3 लगान 3.52 रूपये कायम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अंतिम निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जाती है तथा साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे अनुसार कोई भी पक्षकार एक दूसरे के कब्जे व उपयोग उपभोग में दखलांदाजी नहीं करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ